न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

–:: ईश्तहार ::–

रा.प्र.क्र......................../अ–19(2)/2022–2023

ग्राम– **विजयपुर** तह.रायगढ़

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के पत्र कमांक 561/यूपा/न.पा.नि./2023 रायगढ़ दिनांक 25.07.2023 द्वारा महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रीयल पार्क हेतु न्यूनतम 3.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जहां रोजगार सृजन के उद्देश्य से छोटे लघु उद्योग स्थापित किये जाने हैं। निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड कमांक 47 विजयपुर स्थित कोटवारी भूमि, जो मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, जिससे उक्त योजना के कियान्वयन में सरलतापूर्वक कार्यवाही किया जा सकता है। अतएव वार्ड कमांक 47 विजयपुर स्थित कोटवारी भूमि खसरा नंबर 07 रकबा 1.271 हे. को महात्मा गांधी अरबन इंडस्ट्रीयल पार्क हेतु आबंटित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन पर इस न्यायालय में दिनांक 25/8/2023 को सुनवाई नियत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत दिनांक तक दावा/आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21/8/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
रायगढ़(छ.ग.)

प्रति–
संपादक, दैनिक समाचार पत्र।
....
को प्रकाशन हेतु।